

Rapid Fire (करेंट अफेयर्स): 29 दसिंबर, 2023

अंगोला ओपेक से हुआ बाहर

अफ्रीका के दो सबसे बड़े तेल उत्पादकों में से एक, अंगोला ने घोषणा की है कि वह उत्पादन कोटा पर विवाद के कारण्तेल उत्पादकों के संगठन [पेट्रोलियम नियंत्रित देशों के संगठन \(OPEC\)](#) से अलग हो रहा है।

- **OPEC तथा 10 सहयोगी देशों** ने अस्थिर वैश्वकि कीमतों को बढ़ाने के लिये 2024 में तेल उत्पादन में और अधिक कटौती करने का फैसला किया, जो अंगोला के अनुसार, कीमतों में गरिवट से बचने और अनुबंधों का सम्मान करने की उसकी नीतिके विरुद्ध है।
- **OPEC** (मुख्यालय वरिना, ऑस्ट्रिया में) एक स्थायी, अंतरस्तरकारी संगठन है, जसे 1960 में [बगदाद सम्मेलन](#) में ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और बैनेजुएला द्वारा बनाया गया था।
- अंगोला 2007 में समूह में शामिल हुआ और कार्टेल छोड़ने वाला पहला देश नहीं है।
- इक्वाडोर, इंडोनेशिया और कतर सभी ने ऐसा ही किया है।
- अंगोला के OPEC से अलग होने से उसके पास 12 सदस्य रह जाएंगे।

और पढ़ें: [छठी भारत-ओपेक उर्जा वारता](#)

कोपरा MSP में वृद्धि: कसिनों और बाजारों को प्रोत्साहन

आरथिक मामलों की केबिनेट समिति (CCEA) ने हाल ही में खोपरा/कोपरा के लिये [न्यूनतम समरथन मूल्य \(MSP\)](#) में उल्लेखनीय वृद्धि की घोषणा की, जिससे वर्ष 2024 सीज़न के (शस्य ऋतु) मिलिंग खोपरा के लिये ₹11,160 प्रतिक्विटि और बॉल कोपरा के लिये ₹12,000 प्रतिक्विटि नियंत्रित किया गया।

- इन समायोजनों का लक्ष्य मिलिंग कोपरा के लिये 51.84% और बॉल कोपरा के लिये 63.26% का प्रयाप्त मार्जनि सुनिश्चित करना है, जिससे केरल, तमिलनाडु व कर्नाटक जैसे प्रमुख उत्पादक राज्यों को लाभ होगा।
- भारतीय राष्ट्रीय कृषि सिहकारी विधिन महासंघ लमिटेड (NAFED) और राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ (NCCF) [मूल्य समरथन योजना \(PSS\)](#) के तहत खरीद के लिये केंद्रीय नोडल एंजेंसियों (CNA) के रूप में कार्य करेंगे, जिससे खोपरा तथा छलिके वाले नारियल की खरीद के लिये नियंत्रित समरथन सुनिश्चित होगा।
- सरकार द्वारा नियंत्रित **MSP**, यह सुनिश्चित करता है कि कसिनों को उनकी उपज के लिये गारंटीकृत राशि मिले। वर्ष 1965 सेकृष्टी और कसिन कल्याण मंत्रालय के तहत कार्यरत कृषि लिंगत एवं मूल्य आयोग (CACP), उत्पादन लागत, बाजार के रुझान एवं मांग-आपूर्ति की गतशीलता के आधार पर **MSP** की सफिराशि करता है।

और पढ़ें: [न्यूनतम समरथन मूल्य](#)

एर्डवारक पर जलवायु परविरतन का प्रभाव:

ओरेगॉन स्टेट यूनिवर्सिटी के एक हालिया अध्ययन में [जलवायु परविरतन](#) के प्रभावों के प्रति उप-सहारा अफ्रीका ([सहारा रेगिस्तान](#) के दक्षिण) में एर्डवारक (ऑरकिट्रोपस एफर) की संवेदनशीलता पर प्रकाश डाला गया है।

- अध्ययन से एक चतिजनक प्रवृत्ति का पता चलता है कि योक्तिजी से शुष्क परदृश्य एर्डवारक को अलग-थलग कर देते हैं, जिससे वे तेज़ी से जलवायु परविरतन के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं।
- शुष्कीकरण (कसी क्षेत्र के शुष्क होने की एक क्रमिक प्रक्रिया) उनके वितरण और संचलन को प्रभावित करती है, जिससे दीर्घकालिक सूखे की संभावना अधिक हो जाती है, वशीष रूप से [हॉर्न ऑफ अफ्रीका](#) में।
- एर्डवारक, अफ्रीका का मूल नविस्ती रात्रिचर स्तनपायी, ट्यूबुलीडेटा वर्ग से संबंधित है और इस समूह के भीतर एकमात्र जीवति प्रजाति है।
 - एर्डवारक अफ्रीका के दक्षिणी दो-तहिई भाग में मुख्य रूप से सवाना और अर्द्धशुष्क क्षेत्रों में पाए जाने वाले बलि में रहने वाले स्तनधारी हैं।

- वे पारस्परिकी तंत्र के लिये आवश्यक हैं क्योंकि दीमकों को खाते हैं, जो मानव नियमित संरचनाओं को हानि पहुँचा सकते हैं, और उनके बलि कई अन्य प्रजातियों के लिये महत्वपूर्ण आवास प्रदान करते हैं।
- संकटग्रस्त प्रजातियों की IUCN लाल सूची:** कम चतुराइनक श्रेणी।



//

और पढ़ें... [वैश्वकि जलवायु संकट और नेट जीरो](#)

सरकार ने MLJK-MA को वधिविरुद्ध संगठन घोषित किया

भारत सरकार ने मुस्लिम लीग जम्मू एवं कश्मीर (मसरत आलम गुट) / MLJK-MA को [वधिविरुद्ध क्रयिकलाप \(नवारण\) अधनियम \(UAPA\), 1967](#) की धारा 3 (1) के तहत गैरकानूनी संगठन घोषित किया है।

- यह नियम राष्ट्र-वरिधी और अलगाववादी गतिविधियों में इस संगठन की कथति संलिप्तता, आतंकवाद के लिये स्पष्ट समर्थन तथा जम्मू-कश्मीर में इस्लामी शासन स्थापति करने के प्रयासों को उकसाने में इसकी भूमिका के आलोक में लिया गया है।
- MLJK-MA जम्मू-कश्मीर में पूरव आतंकवादी मसरत आलम भट के नेतृत्व में एक अलगाववादी राजनीतिक संगठन है।
- वधिविरुद्ध क्रयिकलाप (नवारण) अधनियम (UAPA), 1967 का उद्देश्य उद्देश्य शुरू में अलगाववादी आंदोलनों और राष्ट्र-वरिधी गतिविधियों की रोकथाम करना था, अब तक इसमें कई बार संशोधन किया गया है।
 - सबसे हालिया संशोधन वर्ष 2019 में नवीनतम में किया गया था, जिसके तहत [आतंकवाद का वत्तिपोषण](#), साइबर-आतंकवाद, और संपत्ति ज़बर्दी से संबंधित प्रावधान शामिल किये गए थे।
- यह कानून [राष्ट्रीय अन्वेषण अभियान](#) (NIA) को UAPA के राष्ट्रव्यापी क्षेत्रराधिकार के तहत मामलों की जाँच और मुकदमा चलाने का अधिकार प्रदान करता है।
 - UAPA 1967 की धारा 3(1)** के अनुसार, यदि केंद्र सरकार की राय में किसी संघ की प्रकृति वधिविरुद्ध हो गई है, तो वह आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से ऐसे संघ को वधिविरुद्ध घोषित कर सकती है।

